रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ ज्येष्ठ 10, 1939
No. 437] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/ JYAISTHA 10, 1939

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 536(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, हिंदी अधिकारी, भर्ती नियम, 2001 तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में हिंदी अनुवादक श्रेणी-I, भर्ती नियम, 2006 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (हिंदी) और वरिष्ठ अनुवादक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (हिंदी) और वरिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक (हिंदी) और वरिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाऔर अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (हिंदी)	1* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 रू. 56100-177500	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे वरिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 रू. 44900-142400 के वेतनमान में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया

	जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हकया पात्रता सेवा, ऐसी अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2016, वह तारीख जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित समतुल्य वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

यदि विभागीय प्रोनति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
(i) समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघलोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य 3. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य (ii) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति: 1. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य 3. उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान**	**चयन या अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ अनुवादक	2* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 रू. 44900-142400	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशामें वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति याप्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 रू.35400-112400 के वेतनमान में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2016, वह तारीख जिसको सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्समान वेतन या वेतनमान में की गई समझा जाएगा।

यदि विभागीय प्रोनति समिति है तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए): 1. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय — अध्यक्ष 2. उप सचिव (प्रशासन), संसदीय कार्य मंत्रालय — सदस्य 3. अवर सचिव (राजभाषा विभाग) — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4(1)/2013-प्रशासन]

सत्य प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

G.S.R. 536(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Parliamentary Affairs, Hindi Officer, Recruitment Rules, 2001 and Ministry of Parliamentary Affairs, Hindi Translator Grade I, Recruitment Rules, 2006 in so far as they relate to the post of Assistant Director (Hindi) and Senior Translator except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Hindi) and Senior Translator in the Ministry of Parliamentary Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Parliamentary Affairs, Assistant Director (Hindi) and Senior Translator Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix or Pay Scale.—**The number of the said post, their classification and the level in pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**level in the Pay Matrix or Pay Scale**	**Whether selection or non-selection post**	**Age limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director (Hindi)	1*(2016) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted (Ministerial)	Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	2 years for promotees

Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made**
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Senior Translator in the pay scale of Level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400 with three years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors

	would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2016. the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
(i) Group ‘A’ Departmental Promotion Committee: 1. Chairman/Member Union Public Service Commission — Chairman 2. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Member 3. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Member (ii) Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee):— 1. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs — Member 3. Deputy Secretary, (Admn.) Ministry of Parliamentary Affairs —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**level in the Pay Matrix or Pay Scale**	**Whether selection or non-selection post**	**Age limit for direct recruitment**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Translator.	2* (2016) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group ‘B’ Non-Gazetted (Ministerial)	Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made**
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Junior Translator in the pay scale of Level 6 Rs. 35400 to 112400 in the Pay Matrix with five years regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered

	provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying eligibility service **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2016. the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):- 1. Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs —Chairman 2. Deputy Secretary, (Admn.) Ministry of Parliamentary Affairs — Member 3. Under Secretary (Official Language) — Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. 4(1)/2013- Admn.]

SATYA PRAKASH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.02 22:20:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.